भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 590

जिसका उत्तर गुरुवार, 24 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

कानूनी जागरूकता शिविर और कार्यक्रम

590# डा. सुधांशु त्रिवेदी :

श्री रायगा कृष्णैया :

श्री नारायण कोरागप्पा :

श्री मदन राठौड़ :

श्री मयंक कुमार नायक :

श्री मनन कुमार मिश्र :

डा. के. लक्ष्मण :

श्री बृज लाल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से न्याय तक पहुंच को सुदृढ़ करने में सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं ;

(ख) देश भर में आयोजित विधिक जागरूकता शिविरों और कार्यक्रमों का क्या प्रभाव रहा है ; और

(ग) पात्र लाभार्थियों को आपराधिक मामलों में निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने में कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (एलएडीसीएस) का दायरा और परिणाम क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1987 के अधीन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन समाज के कमज़ोर वर्गों, जिनमें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1987 की धारा 12 के अंतर्गत शामिल लाभार्थी भी सम्मिलित हैं, को निःशुल्क एवं सक्षम सेवाएँ प्रदान करने हेतु किया गया था, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय प्राप्त करने के अवसर किसी भी नागरिक को आर्थिक कारण या अन्य अक्षमताओं के आधार पर नहीं वंचित किए जाएँ, और सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु लोक अदालतों का आयोजन किया जाए। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा निवारक एवं रणनीतिक विधिक सेवा

कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु विविध योजनाएँ तैयार की गई हैं, जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न स्तरों—जैसे राज्य, जिला और तालुका स्तरों पर— कार्यान्वित किया जाता है । विगत तीन वर्षों में विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदत्त विधिक सहायता और परामर्श से लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष	विधिक सहायता और परामर्श से लाभान्वित व्यक्ति
2022-23	12,14,769
2023-24	15,50,164
2024-25	16,57,527
योग	44,22,460

लोक अदालत के माध्यम से निपटाए गए मामलों/विषयों का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	राज्य लोक अदालत	स्थायी लोक अदालत	राष्ट्रीय लोक अदालत*
2022-23	8,51,309	1,71,138	4,19,26,010
2023-24	12,07,103	2,32,763	8,53,42,217
2024-25	13,44,814	2,37,980	10,45,26,119
योग	34,03,226	6,41,881	23,17,94,346

*राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में आंकड़े सन् 2022, 2023 और 2024 के कैलेंडर वर्ष से संबंधित हैं।

(ख) : विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा बच्चों, श्रमिकों, आपदा पीड़ितों, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांगजन इत्यादि से संबंधित विविध विधियों एवं योजनाओं के प्रति देशव्यापी विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण विविध विधियों की सरल भाषा में पुस्तिकाएं और पर्चे भी तैयार करती है, जो लोगों के बीच वितरित किए जाते हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता शिविरों/कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष	आयोजित किये गए विधिक जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	उपस्थित व्यक्तियों की संख्या
2022-23	4,90,055	6,75,17,665
2023-24	4,30,306	4,49,22,092
2024-25	4,62,988	3,72,32,850
योग	13,83,349	14,96,72,607

(ग) : वर्ष 2023-24 से भारत सरकार द्वारा एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना अर्थात्; 'विधिक सहायता प्रतिवादी काउन्सल प्रणाली (एल ए डी सी एस) योजना' का कार्यान्वयन भी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से किया जा रहा है। यह योजना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1987

की धारा 12 के अंतर्गत शामिल पात्र लाभार्थियों को आपराधिक मामलों के संबंध में विधिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। 30 जून, 2025 को यथास्थिति, देश भर में 662 जिलों में विधिक सहायता प्रतिवादी काउन्सलों (एल ए डी सी एस) के कार्यालय कार्यरत हैं। विगत दो वर्षों के दौरान विधिक सहायता प्रतिवादी काउन्सलों को सुपुर्द और उनके द्वारा निस्तारित मामलों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	विधिक सहायता प्रतिवादी काउन्सलों को सुपुर्द मामले	विधिक सहायता प्रतिवादी काउन्सलों द्वारा निस्तारित मामले
2023-24	3,36,830	2,12,505
2024-25	5,32,413	3,72,750
योग	8,69,243	5,85,255
